

# न्यायालय नायब तहसीलदार प्रथम / द्वितीय अजमेर

राजस्व मुकदमा संख्या २४/२०२०

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व  
अधिनियम, 1956

सरकार जरिए पटवारी हल्का भूडोल बनाम

श्री विपराज गुर्ज २५०८५५  
गुर्जर गा.प. भूडोल

## निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भूडोल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम भूडोल खसरा नं. २९४६/५५६५ किस्म पियु सिवायचक है, पर सम्वत २०१७ में अतिक्रमण कर रबी / खरीफ में फसल बो दी है। घास / बाड़ा / मकान या अन्य तरीके से अनाधिकृत कब्जा कर लिया है।

पटवारी रिपोर्ट से आश्वस्त होकर विपक्षी के खिलाफ अन्तर्गत धारा 90 ए. एवं 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस की गई। विपक्षी बावजूद नोटिस पर हाजिर / गैरहाजिर आया। इसलिए प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार / अस्वीकार किया। बचाव पक्ष में किसी तरह की शहादत पेश नहीं की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षी को विवादित आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक भूडोल को फसल की निलामी / निर्माण कार्य जब्त सरकार कर फर्द पेश करेंगे एवं दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान २ का २५ गुणा ५० शास्ति रुपया ५० रुपये कायम की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार को कायमी व पटवारी को कायमी बेदखली हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/12/2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली की मांग की राशि 50  
रा.ले.सं.-4 वर्ष 2020-2021 के पृष्ठ सं. 30  
पर इन्द्राज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार  
अजमेर

नायब तहसीलदार अजमेर (प्रथम / द्वितीय)  
अजमेर